उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404
Website:psc.uk.gov.in

संख्याः 143/04/डी0आर0(AP&AAP)/सेवा–2/2022–23 दिनांक : 30 अगस्त, 2023

शुद्धिपत्र/विस्तृत विज्ञप्ति
सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद् नियोजक परीक्षा–2023

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में सहायक नियोजक के 05 पद एवं सहायक वास्तुविद् नियोजक के 01 पद के सापेक्ष विज्ञापन सं. **A-1/DR(AP&AAP)/S-2/2023** **दिनांक 31 जनवरी, 2023** से **दिनांक 20 फरवरी, 2023** द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये थे, तथा शुद्धिपत्र दिनांक 09 मार्च, 2023 के द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2023 से दिनांक 25 मार्च, 2023 तक पुनः समस्त अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, ऑनलाइन आवेदन पत्र के क्रम में अभ्यर्थियों से अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि **दिनांक 10 अप्रैल, 2023** निर्धारित की गयी थी। तत्समय उक्त विज्ञापन के सापेक्ष प्रश्नगत पदों हेतु स्क्रीनिग परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रकाशित नहीं किया गया था तथा दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकन न होने के कारण दिव्यांगजन को विज्ञापन में सम्मिलित नहीं किया गया था।

2–उक्त विज्ञप्ति के माध्यम से प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पदों की स्क्रीनिग परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रकाशित किया जा रहा है तथा दिव्यांगजन के चिन्हांकन हेतु जारी शासनादेश सं0:–48, दिनांक 05 जून, 2023 एवं उत्तराखण्ड शासन के आवास अनुभाग के पत्र दिनांक 20.07.2023 के अनुसार सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद् नियोजक के विज्ञापित पदों के सापेक्ष केवल दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित निम्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों से पुनः ऑनलाइन आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैः–

1–सहायक नियोजक–कुल रिक्त पद 05

उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

क्र0 स0	पदनाम	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	सहायक नियोजक	01	00	00	00	04	05

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

क्र0स0	पदनाम	उत्तराखण्ड महिला	उत्तराख्ण्ड दिव्यांगजन	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे
1	सहायक नियोजक	01	00	00	00	00

नोटः– सहायक नियोजक पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित श्रेणियां–**ओ0ए0 OA (One Arm), ओ0एल0 OL (One Leg), एल0वी0/पी0बी0 LV/PB (Low Vision/Partially Blind), एच0एच0/पी0डी0 HH/PD (Hard of Hearing/Partially Deaf), एल0सी0 Lc (Leprosy Cured), ए0ए0वी0/ए0वी0 AAV/AV (Acid Attack Victims/Acid Victims), ए0एस0डी0 ASD (Autism Spectrum Disorder), आई0डी0 ID (Intellectual Disability), एम0डी0 MD (Multiple Disabilities), टी0एच0 Th(Thalassaemia), एच0पी0 Hp(Hemophilia), ओ0ए0एल0 OAL (One Arm and One Leg**

Affected), डीडब्ल्यू0 Dw (Dwarfism) है। उक्त चिन्हांकित उपश्रेणियों के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2– सहायक वास्तुविद् नियोजक –कुल रिक्त पद – 01

उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

क्र0स0	पदनाम	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	सहायक वास्तुविद् नियोजक	00	00	00	00	01	01

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

क्र0स0	पदनाम	उत्तराखण्ड महिला	उत्तराखण्ड दिव्यांगजन	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे
1	सहायक वास्तुविद् नियोजक	00	00	00	00	00

नोटः– सहायक नियोजक पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित श्रेणियां–**ओ0ए0 OA (One Arm), ओ0एल0 OL (One Leg), एल0वी0/पी0बी0 LV/PB (Low Vision/Partial Blind), एच0एच0/पी0डी0 HH/PD (Hard of Hearing/Partially Deaf), एल0सी0 Lc (Leprosy Cured), ए0ए0वी0/ए0वी0 AAV/AV (Acid Attack Victims/Acid Victims), ए0एस0डी0 ASD (Autism Spectrum Disorder), आई0डी0 ID (Intellectual Disability), एम0डी0 MD (Multiple Disabilities), टी0एच0 Th(Thalassaemia), एच0पी0 Hp(Hemophilia), ओ0ए0एल0 OAL (One Arm and One Leg Affected), डीडब्ल्यू0 Dw (Dwarfism) है। उक्त चिन्हांकित उपश्रेणियों के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

3–आवेदन शुल्क–प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु दिव्यांगजन की चिन्हांकित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क Net Banking/ Debit Card/ Credit Card/ UPI Payment के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन–शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	दिव्यांगजन की चिन्हांकित श्रेणियां– **ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, एल0सी0, ए0ए0वी0/ए0वी0, ए0एस0डी0, आई0डी0, एम0डी0, टी0एच0, एच0पी0, ओ0ए0एल0, डीडब्ल्यू0**	00	रू0 26.55	रू0 26.55

4–उपरोक्त पदों के सापेक्ष दिव्यांगजन की उक्त चिन्हांकित उपश्रेणियों के वहीं अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन के लिए पात्र होगें, जो पूर्व विज्ञापन दिनांक 31.01.2023 तथा शुद्धिपत्र दिनांक 09 मार्च, 2023 के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करते हो। ऐसे

अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु लिंक पुनः खोला गया हैं, जिसके क्रम में ऑनलाइन आवेदन हेतु निम्नवत् तिथियॉ निर्धारित हैः–

(1) शुद्धिपत्र/विस्तृत विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि	–	01 सितम्बर, 2023
(2) ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि	–	15 सितम्बर, 2023
(3) आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/ UPI Payment द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	–	15 सितम्बर, 2023
(4) ऑनलाइन आवेदन की प्रिंटआउट प्रति सहित समस्त शैक्षणिक व अन्य अभिलेख प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	–	25 सितम्बर, 2023

जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व विज्ञापन दिनांक 31.01.2023 एवं शुद्धिपत्र दिनांक 09.03.2023 के अनुक्रम में ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उन्हें उपरोक्त वर्णित पदों हेतु स्वतः ही विचारित किया जायेगा, तद्क्रम में उन अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं।

5– **पूर्व विज्ञापन सं. A-1/DR(AP&AAP)/S-2/2023 दिनांक 31.01.2023 एवं शुद्धिपत्र दिनांक 09.03.2023 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है तथा विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।**

6–विज्ञापन दिनांक 31.01.2023 के अतिमहत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु सं0 07 एवं 11 के क्रम में विज्ञप्ति के साथ स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–04** पर संलग्न किया गया है तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु **परिशिष्ट–05** तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु **परिशिष्ट–06** एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रारूप **परिशिष्ट–6(क)** एवं अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों से संबंधित चैकलिस्ट हेतु **परिशिष्ट–07(क) एवं 07(ख)**, स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हक अंक हेतु **परिशिष्ट–08**, का अवलोकन करें।

-Sd/
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

परिशिष्ट–4

सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद् नियोजक परीक्षा–2023 की स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद् नियोजक स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् हैः–

1- SYLLABUS FOR POST OF ASSISTANT PLANNER
(Objective Type)

No of Question : 150 **MM : 150** **TIME: 02 Hour**

Section 1: Basics of Town Planning

Nature, Concepts and Principles of Town Planning, History and Development of Planning in Ancient, Medieval and Modern Period; Social, Economic and Cultural basis for planning, Demographic characteristics, Industry, Trade and Commerce, Tourism, Factors affecting the town planning and development, Various types of plans viz. Regional Plan, Master plan, Development plan, Zonal plan, Local area plan and neighborhood plan.

Section 2: Planning Theory

Salient concepts, theories and principles of urban planning; Settlement system; history of human settlements; growth of cities; Urbanization, rural-urban migration, Democracy, Public participation and inclusivity.

Section 3: Real Estate, Housing and Slums

Housing; Concepts, principles and examples of neighborhood planning, Housing typologies; Slums and squatter settlements; Affordable Housing; Housing for special areas and needs; Residential densities; Standards for housing and community facilities; National and State Housing Policies, Programs and Schemes. Building Plan sanctioning processes, Principles of Real estate Valuation and methods of Valuation, Public Private Partnerships, Role of HUDCO, National Housing Bank and other Housing Finance Institutions.

Section 4: Environmental Planning

Planning for Urban sustainable development, SDGs, Climate change, Urban Biodiversity, EIA, Types of natural Disasters, Risks and Mitigation measures, Green Building Concepts and Rating; Urban Energy Conservation, Role of Landscaping, Environmental pollution-types, cause, controls and abatement strategies. Environment Policies and guidelines for planning.

Section 5: Master Planning and Urban Design

Master Plan and its concept, scope and purpose; Types of plans - Master Plan, City Development Plan, Structure Plan, Zonal Plan, Action Area Plan, Town Planning Scheme, Regional Plan; Sustainable urban development; Emerging concepts of cities – Compact City, Safer City, Eco-City, Smart City, Transit Oriented Development (TOD), Tourism Planning, IT with ITES, SEZ, Urban Design, Urban Image and Space, Five elements of Urban Design viz. Nodes, Pathways, Districts, Landmarks and Edges, urban Morphology, Skyline, Streetscape, Visual survey, Color and urban Art, Special focus on hill Area Planning, Industrial Area Planning and urban Redevelopment.

Section 6: New Planning Techniques and Innovations

Tools and techniques of Surveys - Physical, Topographical, Land use and Socio-economic Surveys; Simplified Planning Techniques; Application of G.I.S and Remote Sensing techniques in Urban Planning; Decision making models, Drone Technology, Satellite Imagery, Apps, 3-D Terrain modelling, Basic knowledge of applications of Artificial Intelligence, Machine Learning and other innovations.

Section 7: Services and Infrastructure

Urban infrastructure- Transportation, Water Supply, Sewerage, Drainage, Solid Waste Management, Electricity and Communications; Standards at various levels of the settlements for health, education, recreation, public & semi-public facilities, etc. with special focus on Hill Areas.

Section 8: Traffic and Transportation Planning

Principles of Transportation Planning; Traffic survey methods, Traffic flow characteristics; Land use transportation; Design of roads, intersections/grade separators, Logistics and parking areas, Hierarchy of roads and level of service; Traffic and transport management in urban areas; Mass transportation planning; Para-transits and other modes of transportations Pedestrian and slow-moving traffic planning; Intelligent Transportation Systems with special focus on Hill Areas. Knowledge of relevant IRC Codes.

Section 9: Development Administration, Management and Governance

Planning laws, development control and zoning regulations; laws related to land acquisition; TP schemes, Urban Land ceiling; 73rd & 74th Constitutional Amendments; Functions of Urban Local Bodies, Town Planning departments and various other departments, Institutional arrangements for PPP, Schemes/Missions of Government of India such as Prime Minister Awas Yojana; Smart cities; HRIDAY Scheme; AMRUT, etc.

Section 10: Planning Legislation, Professional Practice and Ethics

Planning legislation including legislation related to Development, Implementation and Management in Uttarakhand, URDPFI guidelines, Model Building Regulations, State Bye-laws, Transparency, Ethical and Professional Practices, Citizen oriented service.

***

सहायक नियोजक

के पद के लिए पाठ्यक्रम

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रश्नों की संख्या : 150 **अधिकतम अंक : 150** **समय : 2 घंटे**

खंड 1: टाउन प्लानिंग की मूल बातें

टाउन प्लानिंग की प्रकृति, अवधारणाएं और सिद्धांत, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में योजना का इतिहास और विकास; नियोजन के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार, जनसांख्यिकीय विशेषताएँ, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, पर्यटन, नगर नियोजन और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न प्रकार की योजनाएँ जैसे: क्षेत्रीय योजना, मास्टर प्लान, विकास योजना, क्षेत्रीय योजना, स्थानीय क्षेत्र योजना और पड़ोस योजना।

खंड 2: योजना के सिद्धांत

शहरी नियोजन की मुख्य अवधारणाएं और सिद्धांत; निपटान प्रणाली; मानव बस्तियों का इतिहास; शहरों का विकास; शहरीकरण, ग्रामीण-शहरी प्रवासन, लोकतंत्र, सार्वजनिक भागीदारी और समावेशिता।

खंड 3: रियल एस्टेट, हाउसिंग और स्लम

आवास; आस-पड़ोस की योजना की अवधारणा, सिद्धांत और उदाहरण, आवास के प्रकार; मलिन बस्तियाँ और अनाधिकृत बस्तियाँ; किफायती आवास; विशेष क्षेत्रों और जरूरतों के लिए आवास; आवासीय घनत्व; आवास और सामुदायिक सुविधाओं के लिए मानक; राष्ट्रीय और राज्य आवास नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं। बिल्डिंग प्लान स्वीकृति प्रक्रियाएं, रियल एस्टेट मूल्यांकन के सिद्धांत और मूल्यांकन के तरीके, सार्वजनिक निजी भागीदारी, हुडको की भूमिका, राष्ट्रीय आवास बैंक और अन्य आवास वित्त संस्थान।

खंड 4: पर्यावरण योजना

शहरी सतत विकास के लिए योजना, एसडीजी, जलवायु परिवर्तन, शहरी जैव विविधता, ईआईए, प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार, जोखिम और शमन के उपाय, हरित भवन अवधारणा और रेटिंग; शहरी ऊर्जा संरक्षण, भूनिर्माण की भूमिका, पर्यावरण प्रदूषण-प्रकार, कारण, नियंत्रण और उपशमन रणनीतियाँ। पर्यावरण नीतियां और योजना के लिए दिशानिर्देश।

खंड 5: मास्टर प्लानिंग और शहरी डिजाइन

मास्टर प्लान और इसकी अवधारणा, कार्यक्षेत्र और उद्देश्य; योजनाओं के प्रकार - मास्टर प्लान, शहर विकास योजना, संरचना योजना, जोनल योजना, कार्य क्षेत्र योजना, नगर नियोजन योजना, क्षेत्रीय योजना; सतत शहरी विकास; शहरों की उभरती अवधारणाएं - कॉम्पैक्ट सिटी, सुरक्षित शहर, इको-सिटी, स्मार्ट सिटी, ट्रांजिट

ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी), पर्यटन योजना, आईटीईएस के साथ आईटी, एसईजेड, शहरी डिजाइन, शहरी छवि और स्थान, शहरी डिजाइन के पांच तत्व अर्थात। नोड्स, रास्ते, जिले, लैंडमार्क और किनारे, शहरी आकृति विज्ञान, स्काईलाइन, स्ट्रीटस्केप, दृश्य सर्वेक्षण, रंग और शहरी कला, पहाड़ी क्षेत्र योजना, औद्योगिक क्षेत्र योजना और शहरी पुनर्विकास पर विशेष ध्यान।

खंड 6: नई योजना तकनीक और नवाचार

सर्वेक्षण के उपकरण और तकनीक - भौतिक, स्थलाकृतिक, भूमि उपयोग और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण; सरलीकृत योजना तकनीक; शहरी नियोजन में जीआईएस और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का अनुप्रयोग; निर्णय लेने वाले मॉडल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेजरी, ऐप्स, 3-डी टेरेन मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और अन्य नवाचारों के अनुप्रयोगों का बुनियादी ज्ञान।

खंड 7: सेवाएँ और अवसंरचना

शहरी बुनियादी ढांचा- परिवहन, जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली और संचार; पहाड़ी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं आदि के लिए बस्तियों के विभिन्न स्तरों पर मानक।

खंड 8: यातायात और परिवहन योजना

परिवहन योजना के सिद्धांत; यातायात सर्वेक्षण विधियाँ, यातायात प्रवाह विशेषताएँ; भूमि उपयोग परिवहन; सड़कों, चौराहों / ग्रेड विभाजक, रसद और पार्किंग क्षेत्रों का डिजाइन, सड़कों का पदानुक्रम और सेवा का स्तर; शहरी क्षेत्रों में यातायात और परिवहन प्रबंधन; जन परिवहन योजना; पैरा-ट्रांजिट और परिवहन के अन्य तरीके पैदल यात्री और धीमी गति से चलने वाली यातायात योजना; पहाड़ी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। प्रासंगिक आईआरसी कोड का ज्ञान।

खंड 9: विकास प्रशासन, प्रबंधन और शासन

योजना कानून, विकास नियंत्रण और ज़ोनिंग नियम; भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून; टीपी योजनाएं, शहरी भूमि सीमा; 73वां और 74वां संविधान संशोधन; शहरी स्थानीय निकायों, नगर नियोजन विभागों और विभिन्न अन्य विभागों के कार्य, पीपीपी के लिए संस्थागत व्यवस्था, भारत सरकार की योजनाएं / मिशन जैसे प्रधान मंत्री आवास योजना; स्मार्ट शहर; हृदय योजना; अमृत, आदि

खंड 10: योजना विधान, व्यावसायिक अभ्यास और नैतिकता

उत्तराखंड में विकास, कार्यान्वयन और प्रबंधन से संबंधित कानून सहित योजना कानून, यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश, मॉडल बिल्डिंग विनियम, राज्य उपनियम, पारदर्शिता, नैतिक और व्यावसायिक प्रथाओं, नागरिक उन्मुख सेवा।

***

SYLLABUS FOR POST OF

ASSISTANT ARCHITECT – PLANNER

(Objective Type)

No of Question : 150 **MM : 150** **TIME: 02 Hour**

Section 1: Basics and History of Architecture

Elements and Principles of Design, Building Construction, Architectural styles and examples of different periods of Indian and Western History of Architecture; Oriental, Vernacular and Traditional Architecture; History of Architecture- Indus valley civilization, Aryan/Vedic civilization, Temple Architecture; Western World- Ancient civilizations, Greek Architecture, Roman Architecture, Early Christian Architecture, Romanesque Architecture, Gothic Architecture, Traditional Architecture of Uttarakhand.

Section 2: Development of Contemporary Architecture

Architectural developments since Industrial Revolution; Influence of Modern art on Architecture; Art Nouveau, Eclecticism, International styles, Post Modernism, Deconstruction in Architecture; Recent trends in Contemporary Architecture; Works of renowned national and international Architects. Parametric Design and Biophilic Architecture, Concepts of Green Building and Universal Design.

Section 3: Building Construction & Management

Basic components of "building", Role of Construction in Architecture; Building Construction techniques, RCC, Pre-Fabrication, Methods and details, Brick, Stone, Steel, Timber, UPVC, Aluminum, Glass etc., various cladding materials, Types of Roofing, Vernacular Construction practices, Alternative Building Materials and Construction Techniques. special focus on Hill Areas.

Section 4: Structural Design

Fundamentals of Design of RCC, Steel and Timber Structures. Design of trusses, staircases and other Building elements, Design of various types of Foundations, Sheer walls and Earthquake Resistant Design, special focus on Hill Areas. Familiarity with Codes.

Section 5: Building services

Water Supply, sewerage and drainage systems; sanitary fittings and fixtures; plumbing systems; Rain water harvesting; intelligent buildings; elevators and escalators, their standards and uses; air-conditioning systems (HVAC); fire-fighting systems; building safety and security systems.

Section 6: Urban Design and landscape

Historical and modern examples of urban design; Elements of urban built environment-urban form, spaces, structure, pattern, fabric, texture, grain etc.; Concepts and theories of urban design; Principles, tools and techniques of urban design; Public spaces, character, spatial qualities and Sense of Place; urban design interventions for sustainable development and landscape planning.

Section 7: Surveying and Technology applications

Definition and concept: Instruments used; acquaintance with electronic surveying instruments. Principles of surveying, Unit of measurements, chain surveying, compass, surveying, Levelling, Contouring, Topographic maps, plain table, marking foundations, measuring building under construction. Tools and techniques of Surveys - Physical, Topographical, Land use and Socio-economic Surveys; Simplified Planning Techniques; Application of G.I.S and Remote Sensing techniques in Urban Planning; Decision making models, Drone Technology, Satellite Imagery, Apps, 3-D Terrain modelling, Basic knowledge of applications of Artificial Intelligence, Machine Learning and other innovations.

Section 8: Town Planning

Salient concepts, theories and principles of urban planning; Settlement systems; history of human settlements; growth of cities; Housing-Concepts, typologies and policies; Planning Tools and techniques of Surveys; basics of Traffic and Transportation Planning; Regional and Rural Planning, Master Plan and its concept, scope and purpose with special focus on Hill areas and Tourism,

Section 9: Environmental Planning and Design

Natural and man-made Ecosystem; Ecological principles; Environmental considerations in Planning and Design; Environmental pollution-types, causes, controls and abatement strategies; Sustainable Development Goals and strategies; Climate change and built environment; climate responsive design. Disaster Resiliency.

Section 10: Building Bye laws, Planning Legislation and Professional Ethics

Model Building Regulations and Uttarakhand State Bye-laws; URDPFI guidelines, Planning legislation will include acts and legislation related to development and management of Uttarakhand; Town & Planning Act, etc. Transparency, Ethical and Professional Practices, Citizen oriented service.

*****

सहायक वास्तुविद - नियोजक

के पद के लिए पाठ्यक्रम

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रश्नों की संख्या : 150 **अधिकतम अंक : 150** **समय : 2 घंटे**

खंड 1: मूल बातें और वास्तुकला का इतिहास

डिजाइन के तत्व और सिद्धांत, भवन निर्माण, स्थापत्य शैली और वास्तुकला के भारतीय और पश्चिमी इतिहास के विभिन्न कालखंडों के उदाहरण; ओरिएंटल, वर्नाक्युलर और पारंपरिक वास्तुकला; वास्तुकला का इतिहास- सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य/वैदिक सभ्यता, मंदिर वास्तुकला; पश्चिमी विश्व- प्राचीन सभ्यताएं, ग्रीक वास्तुकला, रोमन वास्तुकला, प्रारंभिक ईसाई वास्तुकला, रोमनस्क्यू वास्तुकला, गोथिक वास्तुकला, उत्तराखंड की पारंपरिक वास्तुकला।

खंड 2: समकालीन वास्तुकला का विकास

औद्योगिक क्रांति के बाद से वास्तु विकास; वास्तुकला पर आधुनिक कला का प्रभाव; आर्ट नोव्यू, इक्लेक्टिसिज्म, इंटरनेशनल स्टाइल्स, पोस्ट मॉडर्निज्म, आर्किटेक्चर में डिकंस्ट्रक्शन; समकालीन वास्तुकला में हाल के रुझान; प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्किटेक्ट्स के कार्य। पैरामीट्रिक डिजाइन और बायोफिलिक आर्किटेक्चर, ग्रीन बिल्डिंग और यूनिवर्सल डिजाइन की अवधारणा।

खंड 3: भवन निर्माण और प्रबंधन

"भवन" के मूल घटक, वास्तुकला में निर्माण की भूमिका; भवन निर्माण तकनीक, आरसीसी, प्री-फैब्रिकेशन, तरीके और विवरण, ईंट, पत्थर, स्टील, इमारती लकड़ी, यूपीवीसी, एल्यूमीनियम, ग्लास आदि, विभिन्न आवरण सामग्री, छत के प्रकार, स्थानीय निर्माण प्रथाएं, वैकल्पिक निर्माण सामग्री और निर्माण तकनीकें। पहाड़ी इलाकों पर विशेष फोकस

खंड 4: संरचनात्मक डिजाइन

आरसीसी, स्टील और इमारती लकड़ी संरचनाओं के डिजाइन के मूल सिद्धांत। ट्रस, सीढ़ियों और अन्य भवन तत्वों का डिजाइन, विभिन्न प्रकार की नींवों का डिजाइन, सरासर दीवारें और भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन, पहाड़ी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान। कोड के साथ परिचित।

खंड 5: भवन निर्माण सेवाएँ

जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था; सैनिटरी फिटिंग और जुड़नार; प्लंबिंग सिस्टम; जल छाजन; बुद्धिमान इमारतें; लिफ्ट और एस्केलेटर, उनके मानक और उपयोग; एयर कंडीशनिंग सिस्टम (एचवीएसी); अग्निशमन प्रणाली; सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियों का निर्माण।

खंड 6: शहरी डिजाइन और परिदृश्य

शहरी डिजाइन के ऐतिहासिक और आधुनिक उदाहरण; शहरी निर्मित पर्यावरण के तत्व-शहरी रूप, स्थान, संरचना, पैटर्न, कपड़ा, बनावट, अनाज आदि; शहरी डिजाइन की अवधारणाएं और सिद्धांत; शहरी डिजाइन के सिद्धांत, उपकरण और तकनीक; सार्वजनिक स्थान, चरित्र, स्थानिक गुण और स्थान की भावना; सतत विकास और परिदृश्य योजना के लिए शहरी डिजाइन हस्तक्षेप।

खंड 7: सर्वेक्षण और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग ।

परिभाषा और अवधारणा: प्रयुक्त उपकरण; इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण उपकरणों के साथ परिचित। सर्वेक्षण के सिद्धांत, माप की इकाई, श्रृंखला सर्वेक्षण, कम्पास, सर्वेक्षण, लेवलिंग, कंटूरिंग, स्थलाकृतिक मानचित्र, समतल तालिका, नींव चिन्हित करना, निर्माणाधीन भवन को मापना। सर्वेक्षण के उपकरण और तकनीक - भौतिक, स्थलाकृतिक, भूमि उपयोग और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण; सरलीकृत योजना तकनीक; शहरी नियोजन में जीआईएस और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का अनुप्रयोग; निर्णय लेने वाले मॉडल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेजरी, ऐप्स, 3-डी टेरेन मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और अन्य नवाचारों के अनुप्रयोगों का बुनियादी ज्ञान।

खंड 8: टाउन प्लानिंग

शहरी नियोजन की मुख्य अवधारणाएं, सिद्धांत और सिद्धांत; निपटान प्रणाली; मानव बस्तियों का इतिहास; शहरों का विकास; हाउसिंग-कॉन्सेप्ट्स, टाइपोलॉजी और नीतियां; योजना उपकरण और सर्वेक्षण की तकनीक; यातायात और परिवहन योजना की मूल बातें; पहाड़ी क्षेत्रों और पर्यटन पर विशेष ध्यान देने के साथ क्षेत्रीय और ग्रामीण योजना, मास्टर प्लान और इसकी अवधारणा, कार्यक्षेत्र और उद्देश्य,

खंड 9: पर्यावरण योजना और डिजाइन

प्राकृतिक और मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र; पारिस्थितिक सिद्धांत; योजना और डिजाइन में पर्यावरणीय विचार; पर्यावरण प्रदूषण-प्रकार, कारण, नियंत्रण और उपशमन रणनीतियाँ; सतत विकास लक्ष्य और रणनीतियाँ; जलवायु परिवर्तन और निर्मित पर्यावरण; जलवायु उत्तरदायी डिजाइन। आपदा लचीलापन।

खंड 10: बिल्डिंग बायलॉज, प्लानिंग लेजिस्लेशन और प्रोफेशनल एथिक्स

मॉडल बिल्डिंग विनियम और उत्तराखंड राज्य उपनियम; यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश, योजना कानून में उत्तराखंड के विकास और प्रबंधन से संबंधित अधिनियम और कानून शामिल होंगे; टाउन एंड प्लानिंग एक्ट, आदि। पारदर्शिता, नैतिक और व्यावसायिक अभ्यास, नागरिक उन्मुख सेवा।

परिशिष्ट–05

शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत :–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–5(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–5(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–5(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–5(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–5(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–5(1)** प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (स्क्रीनिंग) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
7. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।
8. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू–तल के निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सचिव

परिशिष्ट–5(1)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs …….. (name of the candidate with disability), a person with …….. (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o …….., a resident of …….(Village/District/State) and to state that he/she has physical limition which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

परिशिष्ट–5(2)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I ……., a candidate with …….(name of the disability) appearing for the …….(name of the examination) bearing Roll No. ……. at …….(name of the centre) in the District ……. (name of the State). My qualification is …….

I do hereby state that ……. (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ……. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट–06

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा में श्रुतलेखक एव/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट–6(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के सबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट–6(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र निम्नवत गठित बहु–सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है–

i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... अध्यक्ष
ii. Orthopaedic/PMR specialist
iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/ Special Educator
v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पर्वू मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान–पत्र के साथ **परिशिष्ट–6(2)** प्रमाण–पत्र एवं **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक–पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा मे अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण–पत्र के बिन्दु संख्या–2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।

7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू–तल पर निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

9. उक्त दिशा–निर्देश शासनादेश सख्या :374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होगें।

परिशिष्ट–6 (I)

Appendix-6 (I)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.……(name of the candidate), s/o /D/o ……a resident of …… …….. (Vill/PO/PS/District/State), aged…… yrs. a person ……(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto _____ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer…… Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट–6 (II)
Appendix-6 (II)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I_____, a candidate with_____(nature of disability/condition) appearing for the _____(name of the examination) bearing Roll No. _____at_____(name of the center) in the District _____,_____(name of the State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that_____ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is_____. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

परिशिष्ट–6(क)

दिव्यांगजन प्रमाण–पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – .....

तारीख .....

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ....आयु..... लिंग..... पहचान चिन्ह..... .....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनां पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत ..... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

(ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है ।
हॉ/नहीं

(iii) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(iv) के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं
हॉ/नहीं

(v) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।
हॉ/नहीं

(vii) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(viii) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(x) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

डा0.....)	(डा0.....)	(डा0.....)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट–7(क)

Check List

सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद् नियोजक परीक्षा–2023

पदनाम – सहायक नियोजक **अनुक्रमांक –.....**

क्र0 सं0	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हां/नहीं)
1.	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
2.	विस्तृत आवेदन पत्र **(प्रपत्र संख्या–02)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
3.	प्रमाणीकरण प्रपत्र **(प्रपत्र संख्या–03)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
4.	देशना पत्रक **(प्रपत्र संख्या–04)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
5.	हाईस्कूल प्रमाण–पत्र	
6.	हाईस्कूल अंकतालिका,	
7.	इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र	
8.	इण्टरमीडिएट अंकतालिका	
9.	अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन/अर्बन प्लानिंग/रीजनल प्लानिंग/ट्रेफिक एण्ड ट्रान्सपोर्ट प्लानिंग/हाउसिंग में स्नातकोत्तर उपाधि/एम0टेक अथवा इनके समकक्ष शैक्षिक योग्यता अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से बैचलर इन प्लानिंग/बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्लानिंग अथवा इनके समकक्ष शैक्षिक योग्यता के साथ केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त संस्था अथवा पब्लिक सेक्टर अण्डर टेंकिग अथवा अर्द्वशासकीय संस्थानों में नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन के कार्य में तीन वर्ष का अनुभव। अथवा 2–निम्नलिखित संस्थाओं में से कम से कम एक संस्थान की निगमित सदस्यता – क–इन्स्टिटयूट आफ टाउन प्लानर्स (इण्डिया) ख–अमेरिकन इन्स्टिटयूट ऑफ टाउन प्लानर्स ग–रॉयल इन्स्टिटयूट आफॅ टाउन प्लानर्स (लंदन) **वर्ष– .....**	
10.	अनुभव प्रमाण पत्र–	
11.	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने – (1) प्रान्तीय सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, (2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	

12.	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0)**	
13.	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / उत्तराखण्ड महिला / उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक / दिव्यांग / उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे)	
14.	स्थायी निवास प्रमाण–पत्र।	
15.	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार / लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।	
16.	यदि अभ्यर्थी के नाम / पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
17.	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमणित फोटोग्राफ।	
18.	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा–आधार कार्ड / वोटर कार्ड / ड्राइविंग लाईसेंस आदि मूल रूप से तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण–पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की **अंतिम तिथि....., 2023 तक वैध** होना चाहिए। शासनादेश संख्या–310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। **अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओ हेतु जारी हों।**

नोट–आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी उक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या–02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या–03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या–04) एवं समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....

परिशिष्ट–7(ख)

सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद् नियोजक परीक्षा–2023

पदनाम – सहायक नियोजक **अनुक्रमांक –.....**

क्र0 सं0	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हां/नहीं)
1.	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
2.	विस्तृत आवेदन पत्र **(प्रपत्र संख्या–02)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
3.	प्रमाणीकरण प्रपत्र **(प्रपत्र संख्या–03)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
4.	देशना पत्रक **(प्रपत्र संख्या–04)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
5.	हाईस्कूल प्रमाण–पत्र	
6.	हाईस्कूल अंकतालिका,	
7.	इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र	
8.	इण्**टरमीडि**एट अंकतालिका	
9.	1–किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से बी0आर्च। तथा 2–किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन/अर्बन प्लानिंग/रीजनल प्लानिंग/ट्रेफिक एण्ड ट्रान्सपोर्ट प्लानिंग/हाउसिंग में स्नातकोत्तर उपाधि/एम0टेक अथवा इनके समकक्ष शैक्षिक योग्यता। **वर्ष– .....**	
10.	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने – (1) प्रान्तीय सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, (2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	
11.	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0)**	
12.	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/दिव्यांग/ उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे)	
13.	स्थायी निवास प्रमाण–पत्र।	
14.	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।	
15.	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
16.	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमणित फोटोग्राफ।	

17.	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा–आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि मूल रूप से तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण–पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की **अंतिम तिथि....., 2023 तक वैध** होना चाहिए। शासनादेश संख्या–310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। **अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओ हेतु जारी हों।**

नोट–आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी उक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या–02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या–03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या–04) एवं समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....

परिशिष्ट–08

सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद् नियोजक परीक्षा–2023 हेतु न्यूनतम् अर्हकारी अंक :–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 (यथासंशोधित) में निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्रवीणता सूची (मेरिट) के लिए अनिवार्य हैः–

क्र0 सं0	आरक्षण की श्रेणी	स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम् अर्हक अंक प्रतिशत में।
1.	अनारक्षित	**35%**
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	**30%**
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	**25%**
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	**30%**

नोट :: अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही मेरिट **(MERIT)** के क्रम में प्रवीणता–सूची हेतु विचारित किया जायेगा।